उत्तरांचल शासन वित्त अनुभाग-3 संख्या-924 /वि०अनु0-3/2003 देहरादून: दिनांक: 16 जून, 2003

कार्यालय-झाप

विषयः राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अघोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुमाग—3, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—640 / वि०अनु0—3 / 2002 दिनांक 18 दिसम्बर, 2002 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जुलाई, 2002 से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपमोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई यृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 दिसम्बर, 2002 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुये 01 जनवरी, 2003 से महंगाई राहत की एक और किश्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तद्गुशार दिनांक 01 जनवरी, 2003 से राहत की दर बढ़कर 88 प्रतिशत हो गई है।

- 2- महंगााई राहत की ऐसी घनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आंगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।
- उ
 यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा
 आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा
 सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नही होगें,
 उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विमागों द्वारा अलग से आदेश
 निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
- 4— यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विमाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होगें।
- 5— शासन के कार्यालय शाप सं0-ए-1-252/दस-10(3)-81 दिनांक 27 अप्रैल, 100% में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आणि गो भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पश्च की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगांई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Finance Section-3
No- 924 /Fin.Sec.-3/2003
Dated: 16 June, 2003

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No 640/Vitt. Anu-3/2002 dated 18 December 2002 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 1 July 2002 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all Civil/ Family pensioners of this Government to Compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 3%(percent) with offect from 01 January, 2003 in super session of the vates mentioned in the OM dated 29.5.2002 referred to above accordingly the rate of dearness of pension/Family Pension w.e.f. 01-01-2003 has risen to 55%.

- 2- Payment of Dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.
- 3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service comission, employees of local bodies and Public undertaking/ Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.
- 4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the education/Technical Education Department whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the State Government.
- 5. As per orders issued in O.M. No. A-1-252/*-10(3)-81 dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबंध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत लागू रहेगें।

6- Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

इन्दु कुमार पाण्डे प्रमुख सचिव Indu Kumar Pande Principal Secretary

संख्या**924/वि०अन्0-3/2003/तद्दिनांक** प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1-समस्त प्रमुख सिंघव / सिंघव, उत्तरांचल शासन।

2-समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन गढ़वाल मण्डल/कुमायें मण्डल।

4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्ये, उत्तरांचल।

5— महालेखाकार, उत्तरांचल, ओवेराय मोटर बिल्बिंग. सहारनपुर रोड, गाजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं nu अतिरिक्त प्रतियों इस आशय से प्रषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियों उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

7— उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियाँ मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से ट्रिक्ट (कें) सीठा मिश्री अपर सचिव।

No 924 /Fin.Sec.-3/2003 the date

Copy forwarded to following for information and necessary action:

 All Principal Secretaries/ Secretaries. Government of Uttaranchal.

All Head of Departments/Offices, Uttaranchal.

 Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/Kumaon Division.

 Director, Treasury and Finance Services, Ultrannehal.

 Accountant General Uttaranchal, Oberoy Motor Building, Saharanpin Road, Mazara, Dehnadun along with 50 extra copies with the request that account officers of other States be also informed please.

6. All Treasury Officers, Uttaranchal.

 Deputy Director, Govt. Press Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.

> By order (K.C. Misra) Addl. Secretary